भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1170

मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नये उद्योगों की स्थापना किया जाना

1170. **श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः**
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री संजय दीना पाटिलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए नये उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नये उद्योग स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला है और इस संबंध में सुविधा प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में महाराष्ट्र राज्य को नए उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र राज्य में नये उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): उद्योगों की स्थापना मुख्यत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, भारत सरकार पूरे देश में औद्योगिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से उचित नीतिगत कार्यकलापों के जरिए देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए सक्षम इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए सहायता करती है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही योजनाओं के अलावा, भारत सरकार ने डीपीआईआईटी के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न कदम जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीम आदि उठाएं हैं। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में निवेश में तेजी लाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र की भी स्थापना की गई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में, उद्योगों के लिए वॉक-टु-वर्क संकल्पना के साथ विश्व स्तरीय, विश्वसनीय, सतत और लचीला प्लग-एन-प्ले अवसंरचना प्रदान करने तथा देश में विनिर्माण निवेश हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य में 4,584 एकड़ में शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए) विकसित किया गया है। मुख्य अवसंरचना और सम्बद्ध सुविधाओं का कार्य पूरा हो गया है तथा परियोजना के विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा विभिन्न उद्योगों को भूमि आबंटित की जा रही है। एसबीआईए के विकास के लिए 19 जुलाई, 2024 तक 3,000.00 करोड़ रु. की कुल निधि जारी की गई है।

सरकार ने 31.03.2026 तक के लिए 1700.00 करोड़ रु. के आबंटन के साथ केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी)" को भी अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम का उद्देश्य चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र के लिए अवसंरचना का विकास, चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र संबंधी विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान, अतिरिक्त निवेश प्रदान करना, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है।

आईएफएलडीपी के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सहायता प्रदान की गई है:-

(i) चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप-स्कीम: महाराष्ट्र राज्य की 01 इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 2021-22 से 2024-25 (25.07.2024 तक) के दौरान 5.75 लाख रु. प्रदान किए गए हैं।

(ii) मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट (एमएलएफएसीडी): डीपीआईआईटी ने भारत सरकार की 125.00 करोड़ रु. की सहायता सहित 256.42 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से रतवाड़ ग्राम, महाराष्ट्र में मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट के विकास को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित स्कीमों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है:

(i) दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2021 तक जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017 । अब तक, इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में 87.43 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं।

(ii) दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017 । अब तक, इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में 517.81 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(iii) दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2037 तक जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (एनसीएसएस) । अब तक, इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में 223.30 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।

(iv) दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2017 तक पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 । अब तक, इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में 3744.68 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(v) दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक 3000 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 । अब तक, इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में 610.98 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।

(vi) दिनांक 19.03.2024 से 08.03.2034 तक 10,037 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति, 2024)।

*****